भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1308
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब

+1308. श्री मलैयारासन डी. :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशभर के विभिन्न न्यायालयों में ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन में हुए विलंब पर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो डिजिटल केस रिकॉर्ड, ई-फाइलिंग, वर्चुअल कोर्टरूम और अदालतों की परस्पर कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख घटकों को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं ;

(ग) विशेष रूप से तमिलनाडु में ई-कोर्ट परियोजना के राज्य-वार चरण II और चरण III के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और कल्लकुरुची निर्वाचन क्षेत्र के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ;

(घ) क्या अपर्याप्त अवसंरचना, तकनीकी जनशक्ति की कमी या वित्तीय बाधाओं ने उक्त परियोजना के समय पर कार्यान्वयन को प्रभावित किया है ; और

(ङ) सरकार द्वारा ई-कोर्टों के कार्यान्वयन में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि विशेषकर कल्लकुरुची निर्वाचन क्षेत्र में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को डिजिटल न्यायिक सेवाओं का लाभ शीघ्रातिशीघ्र मिल सके ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ): न्यायिक प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को पूरे देश में चरणबद्ध रीति से कार्यान्वित किया जा रहा है। न्याय विभाग भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के

साथ निकट समन्वय में संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेंद्रीकृत रीति से ई-न्यायालय परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है।

परियोजना का चरण 1 (2011 - 2015) मुख्य रूप से न्यायालयों में बुनियादी कम्प्यूटरीकरण और आंतरिक संयोजकता पर केंद्रित था। चरण 2 (2015 - 2023), जिसका वित्तीय परिव्यय 1670 करोड़ रुपये, नागरिकों को न्यायिक सेवाओं की आईसीटी सुविधा पर केंद्रित हैं। ई-न्यायालय परियोजना के चरण- 2 के अधीन जारी की गई निधि का उच्च न्यायालय-वार विवरण **उपाबंध - 1** पर है। घटकों में कंप्यूटर हार्डवेयर, डीएसएलए/टीएलसी का कंप्यूटरीकरण, वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) संयोजकता, हितधारकों का प्रशिक्षण, ईसेवा केंद्र की स्थापना आदि शामिल थे। एक उन्नत सीआईएस सॉफ्टवेयर, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) और डिजिटल फाइलिंग और भुगतान के लिए प्रणाली विकसित किए गए, जिसने न्यायपालिका द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक जनता की पहुंच की रीति में क्रांति ला दी।

ई-न्यायालय परियोजना के चरण 3 (2023-2027) में विरासत और वर्तमान मामले के अभिलेख को डिजिटल करके, सभी न्यायालयों, जेलों और चयनित अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विस्तार करके, यातायात उल्लंघनों से परे ऑनलाइन न्यायालयों का विस्तार करके और ई-फाइलिंग और ई-भुगतान प्रणालियों को मजबूत करके भारतीय न्यायालयों को डिजिटल और कागज रहित न्यायालयों में बदलने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, परियोजना का लक्ष्य सभी न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केंद्रों का निर्माण, डिजीटल न्यायालय के अभिलेख और अनुप्रयोगों को संग्रहीत करने के लिए एक अत्याधुनिक क्लाउड-आधारित डेटा रिपॉजिटरी का निर्माण और मामले के विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए कृतिम आसूचना (एआई) और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों की तैनाती करना है। चरण 3 का वित्तीय परिव्यय 7210 करोड़ रुपये में से अब तक 2740.86 करोड़ रुपये उच्च न्यायालयों और अन्य अभिकर को जारी किए जा चुके हैं। जारी की गई निधियों का उच्च न्यायालय-वार विवरण **उपाबंध-2** पर है। अभिलेख के डिजिटलीकरण, आभासी न्यायालय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-फाइलिंग का विवरण, जैसा कि ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय-वार और जिला न्यायालय-वार प्रदान किया गया है, **उपाबंध-3** पर है।

वर्तमान में, विरासत अभिलेख सहित न्यायालय अभिलेख के 618.36 करोड़ से अधिक पृष्ठों को डिजिटलीकृत किया गया है। ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 1.03 करोड़ मामले इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए हैं। ट्रैफ़िक चालानों के ऑनलाइन न्यायनिर्णयन को स्थापित करने के लिए 29 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं और 11 उच्च न्यायालयों में न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग चालू है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार किया गया है और 3.93 करोड़ से अधिक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई हैं। ई-न्यायालय परियोजना के अधीन वाइड एरिया

नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना का उद्देश्य देश भर में फैले सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) और वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) आदि जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके जोड़ना है। अब तक, 99.5% न्यायालय परिसरों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति के साथ जोड़ा गया है। यह ई-न्यायालय परियोजना का आधार है, जो देश भर की न्यायालयों में डेटा संयोजकता सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, सभी जिला न्यायालय की वेबसाइटों को एक सेवा के रूप में सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट (एस3 डब्ल्यूएएएस) प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

ई-न्यायालय परियोजना के सॉफ्टवेयर विकास घटक के अधीन, जनशक्ति को सरकारी मानदंडों के अनुसार एनआईसी और आउटसोर्स संसाधनों के माध्यम से लगाया जाता है। इसमें न्यायपालिका में ई-न्यायालय अनुप्रयोगों के विकास, रखरखाव, उन्नयन और सुरक्षित संचालन का समर्थन करने के लिए केंद्रीय और उच्च न्यायालय स्तर पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, प्रणाली विश्लेषक, डेटाबेस प्रशासक, साइबर सुरक्षा और परियोजना प्रबंधन पेशेवर शामिल हैं। उच्च न्यायालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त तकनीकी जनशक्ति के साथ एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) भी स्थापित किया गया है। परियोजना को पर्याप्त वित्तीय आवंटन, तकनीकी जनशक्ति के चल रहे प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे में वृद्धि और संयोजकता के लिए उच्च न्यायालयों को निधि का उपबंध और प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन की सुविधा के लिए उच्च न्यायालयों के साथ निरंतर समन्वय के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है।

तमिलनाडु राज्य में, ई-न्यायालय परियोजना को मद्रास उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना के चरण 2 के दौरान, कल्लाकुरिची को एक अलग जिले के रूप में गठित नहीं किया गया था और केवल एक तालुक के रूप में अस्तित्व में था। तत्पश्चात इसे चरण 3 के दौरान एक जिले के रूप में स्थापित किया गया।

ई-न्यायालय परियोजना के चरण 2 और चरण 3 के दौरान, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन आईसीटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और न्यायिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से कई पहल कार्यान्वित की गई हैं। सभी जिला न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया और 1,161 न्यायालयों, 259 न्यायालय परिसरों और 41 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)/तालुका विधिक सेवा समितियों (टीएलएससी) को आईसीटी बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया। 14 न्यायालय परिसरों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से सुसज्जित किया गया। 2 जस्टिस क्लॉक, 317 ई-सेवा केंद्र, 105 हेल्प डेस्क काउंटर और 259 सूचना कियोस्क की स्थापना के माध्यम से नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ाया गया। 236 न्यायालय परिसरों और 111 जेलों में ब्रॉडबैंड संयोजकता के साथ 140 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन स्थापित करके आभासी सुनवाई की सुविधा प्रदान की गई और 31.12.2025 तक 20.1 लाख आभासी सुनवाई आयोजित की गई

हैं। सभी न्यायालयों में ई-फाइलिंग और ई-भुगतान प्रणाली कार्यान्वित की गई। अब तक 33.93 करोड़ से अधिक पृष्ठों के न्यायालय अभिलेख को डिजिटल किया जा चुका है। समन की प्रभावी सेवा के लिए, वरिष्ठ जमानतदारों और प्रोसेस सर्वरों को राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) पहल के अधीन 2,906 स्मार्टफोन प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त, दूरस्थ और कम सेवा वाले न्यायालय परिसरों को मजबूत, उच्च गति और सुरक्षित संयोजकता प्रदान करने के लिए वैन संयोजकता को 267 न्यायालय परिसरों तक बढ़ाया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति की है। इसके अतिरिक्त, इस मामले पर मद्रास उच्च न्यायालय, तमिलनाडु राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता निष्पादित किया गया है।

उपाबंध – 1

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1308 जिसका उत्तर 06.02.2026 को दिया जाना है,के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

उच्च न्यायालय-वार और वर्ष-वार, ई-न्यायालय परियोजना के चरण 2 के अधीन जारी निधि का विवरण:

क्र. सं.	**उच्च न्यायालय**	**कुल** (रुपए करोड़ में)
1	इलाहाबाद	109.48
2	आंध्र प्रदेश	1.96
3	बम्बई	125.24
4	कलकत्ता	37.09
5	छत्तीसगढ़	27.31
6	दिल्ली	26.80
7	गुवाहटी (अरुणाचल प्रदेश)	12.90
8	गुवाहटी (असम)	70.77
9	गुवाहटी (मिजोरम)	7.87
10	गुवाहटी (नागालैंड)	7.99
11	गुजरात	72.82
12	हिमाचल प्रदेश	11.19
13	जम्मूकश्मीर और लद्दाख-	18.98
14	झारखंड	24.25
15	कर्नाटक	65.38
16	केरल	37.61
17	मध्य प्रदेश	74.05
18	मद्रास	70.15
19	मणिपुर	9.27
20	मेघालय	13.17
21	उड़ीसा	46.41
22	पटना	55.82
23	पंजाब और हरियाणा	54.13
24	राजस्थान	74.56
25	सिक्किम	7.58
26	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश*	70.29
27	तेलंगाना	1.79
28	त्रिपुरा	17.86
29	उत्तराखंड	11.65
कुल (करोड़ में)		**1164.37**

*तत्कालीन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय को निधियाँ जारी की गई; क्रमशः 58:42 के अनुपात में साझा किया गया।

टिप्पण: उच्च न्यायालयों को जारी की गई निधि के अतिरिक्त, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एनआईसी को 180.57 करोड़ रुपये, वैन (वाइड एरिया नेटवर्क) संयोजकता के लिए बीएसएनएल को 293.68 करोड़ रुपये, ई-समिति को 13.50 करोड़ रुपये, परिवर्तन प्रबंधन के अधीन एससीआई और विविध व्यय (वेतन, कार्यालय व्यय, प्रचार, आदि) के लिए 16.31 करोड़ रुपये जारी किए गए।

उपाबंध - 2

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब **के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1308 जिसका उत्तर 06.02.2026 को दिया जाना है,के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

उच्च न्यायालय-वार और वर्ष-वार, ई-न्यायालय परियोजना के चरण 3 के अधीन जारी निधि का विवरण:

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	इलाहाबाद	95.87	51.78	119.92
2	आंध्र प्रदेश	25.44	31.74	15.81
3	बम्बई	69.54	83.19	92.41
4	कलकत्ता	16.73	27.65	9.50
5	छत्तीसगढ़	16.27	24.17	39.11
6	दिल्ली	17.89	48.19	17.90
7	गुवाहटी (अरुणाचल प्रदेश)	2.03	9.76	1.79
8	गुवाहटी (असम)	24.97	33.85	3.65
9	गुवाहटी (मिजोरम)	3.12	6.22	1.99
10	गुवाहटी, कोहिमा (नागालैंड)	1.79	3.91	3.41
11	गुजरात	27.72	73.21	48.89
12	हिमाचल प्रदेश	6.06	6.89	7.63
13	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	6.52	14.53	12.81
14	झारखंड	10.59	29.22	7.65
15	कर्नाटक	32.37	67.40	48.22
16	केरल	15.40	32.62	51.60
17	मध्य प्रदेश	22.90	77.31	48.58
18	मद्रास	90.69	91.75	113.20
19	मणिपुर	11.12	7.54	2.16
20	मेघालय	3.33	8.50	3.83
21	उड़ीसा	6.77	53.24	16.09
22	पटना	32.43	89.55	57.61
23	पंजाब और हरियाणा	14.58	26.01	10.01
24	राजस्थान	19.80	34.72	60.88
25	सिक्किम	1.71	8.98	2.51
26	तेलंगाना	22.03	28.57	28.91
27	त्रिपुरा	0.53	7.05	8.79
28	उत्तराखंड	13.68	19.95	29.57
	कुल	**611.88**	**997.49**	**864.43***

*तारीख 04.02.2026 तक

टिप्पण: उच्च न्यायालयों को जारी निधियों के अतिरिक्त, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एनआईसी को 185.06 करोड़ रुपये, डब्ल्यूएएन (वाइड एरिया नेटवर्क) संयोजकता के लिए बीएसएनएल को 54.79 करोड़ रुपये, चेंज मैनेजमेंट के अधीन ई-समिति, एससीआई को 17.51 करोड़ रुपये, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के विकास के लिए आईआईटी मद्रास को 0.28 करोड़ रुपये और विविध व्यय (वेतन, कार्यालय व्यय, प्रचार आदि) के लिए 9.42 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

उपाबंध - 3

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब **के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1308 जिसका उत्तर 06.02.2026 को दिया जाना है,के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

क. 31.12.2025 तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में न्यायालय के अभिलेख के डिजिटलीकरण का विवरण:

क्र. सं.	**उच्च न्यायालय**	**उच्च न्यायालय में डिजिटल किये गये कुल पृष्ठ**	**जिला न्यायालयों में डिजिटल किये गये कुल पृष्ठ**
1	इलाहाबाद	57,74,41,007	1,68,69,63,743
2	आंध्र प्रदेश	3,41,11,865	17,28,50,732
3	बम्बई	8,90,63,956	22,07,485
4	कलकत्ता	5,95,17,135	0
5	छत्तीसगढ़	24,26,800	1,91,84,603
6	दिल्ली	23,46,18,073	10,48,83,922
7	गुवाहटी – अरुणाचल प्रदेश	5,06,407	1,26,322
8	गुवाहटी – असम	2,97,53,593	15,58,31,203
9	गुवाहटी – मिजोरम	12,31,287	20,97,820
10	गुवाहटी – नागालैंड	0	0
11	गुजरात	16,98,629	11,64,409
12	हिमाचल प्रदेश	79,15,775	11,81,757
13	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	4,11,76,756	2,50,11,814
14	झारखंड	3,01,84,408	96,24,854
15	कर्नाटक	5,14,20,668	4,63,47,270
16	केरल	8,17,95,531	1,71,13,720
17	मध्य प्रदेश	24,62,88,505	66,68,95,995
18	मद्रास	20,76,93,848	13,16,62,142
19	मणिपुर	58,56,075	57,36,785
20	मेघालय	11,56,596	38,20,961
21	उड़ीसा	5,33,13,761	17,36,02,357
22	पटना	2,40,49,339	2,39,56,123
23	पंजाब और हरियाणा	29,46,04,020	62,82,06,241
24	राजस्थान	13,44,36,567	3,50,10,815
25	सिक्किम	11,73,135	54,15,378
26	तेलंगाना	12,85,86,477	7,61,42,250
27	त्रिपुरा	54,39,454	5,62,558
28	उत्तराखंड	2,41,91,236	1,33,14,115
कुल		**2,36,96,50,903**	**4,00,89,15,374**

(स्रोत; ई समिति एससीआई)

ख. 31.12.2025 तक राज्य-वार आभासी न्यायालय की स्थापना और चालान का विवरण:

क्र. सं.	आभासी न्यायालय स्थापना का नाम	प्राप्त चालानों की संख्या	चालान राशि (रु. में)
1	असम (असम यातायात विभाग)	2,52,352	3,10,25,201
2	चंडीगढ़ (आभासी न्यायालय चंडीगढ़)	18,14,186	24,49,08,810
3	छत्तीसगढ़ (यातायात विभाग)	1,29,303	82,60,701
4	छत्तीसगढ़ (परिवहन विभाग)	49,572	3,30,500
5	दिल्ली (सूचना विभाग)	2,62,11,142	2,18,20,23,706
6	दिल्ली (यातायात विभाग)	1,10,92,663	2,15,46,13,153
7	गुजरात (यातायात विभाग)	74,86,237	41,16,95,656
8	गुजरात (परिवहन विभाग)	8,10,340	33,05,10,865
9	हरियाणा (यातायात विभाग)	51,63,782	26,95,79,801
10	हिमाचल प्रदेश (यातायात विभाग)	8,89,304	5,33,29,353
11	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख(जम्मू यातायात विभाग)	14,59,411	12,12,00,646
12	जम्मू -कश्मीर और लद्दाख (कश्मीर यातायात विभाग)	14,20,148	14,98,72,014
13	कर्नाटक (यातायात विभाग)	1,27,657	1,10,16,14,350
14	केरल (पुलिस विभाग)	50,16,507	17,63,55,442
15	केरल (परिवहन विभाग)	15,24,588	28,09,68,711
16	मध्य प्रदेश (यातायात विभाग)	21,09,341	5,75,54,610
17	महाराष्ट्र (परिवहन विभाग)	56,569	31,49,705
18	महाराष्ट्र (नासिक यातायात विभाग)	22	2
19	मणिपुर (आभासी न्यायालय – यातायात)	19,671	7,96,000
20	मणिपुर (आभासी न्यायालय – परिवहन)	6,436	4,34,500
21	मेघालय (यातायात विभाग)	6,472	1,00,501
22	ओडिशा (यातायात सीटीसी-बीबीएसआर कमिश्नरेट)	8,80,783	7,63,59,501
23	राजस्थान (यातायात विभाग)	3,17,077	2,16,07,070
24	तमिलनाडु (यातायात विभाग)	2,53,972	1,17,54,41,050
25	त्रिपुरा (यातायात विभाग)	2,69,894	42,48,726
26	उत्तर प्रदेश (यातायात विभाग)	2,99,56,401	82,72,27,444
27	उत्तराखंड (यातायात विभाग)	1,66,141	1,85,93,902
28	उत्तराखंड (परिवहन विभाग)	1,43,967	2,30,60,042
29	पश्चिमी बंगाल (यातायात विभाग)	4,83,932	76,88,452
	कुल	**9,81,17,870**	**973,25,50,414**

(स्रोत; ई समिति एससीआई)

ग. 31.12.2025 तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुने गए मामलों की संख्या:

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय	जिला न्यायालय
1	इलाहाबाद	2,49,060	66,73,818
2	आंध्र प्रदेश	4,21,307	14,57,401
3	बम्बई	94,493	3,10,408
4	कलकत्ता	1,81,591	1,85,189
5	छत्तीसगढ़	1,05,175	4,59,698
6	दिल्ली	3,22,201	75,03,131
7	गुवाहटी – अरुणाचल प्रदेश	3,574	8,779
8	गुवाहटी – असम	2,67,767	5,47,962
9	गुवाहटी – मिजोरम	4,294	13,268
10	गुवाहटी – नागालैंड	1,477	1,278
11	गुजरात	4,20,087	2,34,667
12	हिमाचल प्रदेश	1,86,350	2,02,660
13	जम्मू - कश्मीर और लद्दाख	2,65,337	5,98,259
14	झारखंड	2,25,235	7,45,304
15	कर्नाटक	12,78,460	1,92,285
16	केरल	2,80,384	6,93,555
17	मध्य प्रदेश	6,97,374	11,72,912
18	मद्रास	15,31,620	4,79,195
19	मणिपुर	55,160	18,811
20	मेघालय	6,930	77,483
21	उड़ीसा	3,59,593	3,66,450
22	पटना	2,78,212	32,75,264
23	पंजाब और हरियाणा	6,53,089	37,34,523
24	राजस्थान	2,54,597	2,66,506
25	सिक्किम	926	17,890
26	तेलंगाना	15,31,472	2,01,818
27	त्रिपुरा	22,535	42,737
28	उत्तराखंड	91,252	51,892
कुल		**97,89,552**	**2,95,33,143**

(स्रोत; ई समिति एससीआई)

घ. 31.12.2025 तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ई-फाइल किए गए मामलों की संख्या:

क्र.सं.	राज्य का नाम	उच्च न्यायालय/ जिला न्यायालय	ई फाईल किए गए कुल मामले		
			उ.न्या.	जि.न्या.	कुल
1.	इलाहबाद*	जिला न्यायालय	0	12,255	12,255
2.	आंध्र प्रदेश	उच्च न्यायालय	22,909	27	22,936
3.	बम्बई	दोनों न्यायालय	3,98,448	24,92,723	28,91,171
4.	कलकत्ता	उच्च न्यायालय	11,847	2,453	14,300
5.	छत्तीसगढ़	दोनों न्यायालय	853	3,018	3,871
6.	दिल्ली*	जिला न्यायालय	0	16,06,202	16,06,202
7.	गुवाहटी-अरुणाचल प्रदेश	दोनों न्यायालय	0	0	0
8.	गुवाहटी-असम	दोनों न्यायालय	38,890	47,601	86,491
9.	गुवाहटी - मिजोरम	दोनों न्यायालय	0	0	0
10.	गुवाहटी - नागालैंड	दोनों न्यायालय	0	0	0
11.	गुजरात	उच्च न्यायालय	64,582	10,043	74,625
12.	हिमाचल प्रदेश	दोनों न्यायालय	3,584	1,07,244	1,10,828
13.	जम्मू और कश्मीर	दोनों न्यायालय	29,823	2,03,856	2,33,679
14.	झारखंड	दोनों न्यायालय	57	1,316	1,373
15.	कर्नाटक	दोनों न्यायालय	9,908	3,90,352	4,00,260
16.	केरल*	जिला न्यायालय	0	10,92,893	10,92,893
17.	मध्य प्रदेश*	जिला न्यायालय	0	15,470	15,470
18.	मद्रास	दोनों न्यायालय	1,40,187	21,96,967	23,37,154
19.	मणिपुर	उच्च न्यायालय	7,287	28,204	35,491
20.	मेघालय	दोनों न्यायालय	39	1	40
21.	ओडिशा	दोनों न्यायालय	33,464	76,584	1,10,048
22.	पटना	दोनों न्यायालय	7,20,738	49,417	7,70,155
23.	पंजाब और हरियाणा	दोनों न्यायालय	1,16,033	1,25,647	2,41,680
24.	राजस्थान	दोनों न्यायालय	1,22,607	6,997	1,29,604
25.	सिक्किम	दोनों न्यायालय	3,887	6,724	10,611
26.	तेलंगाना	दोनों न्यायालय	10,269	47,694	57,963
27.	त्रिपुरा	दोनों न्यायालय	4,425	34,356	38,781
28.	उत्तराखंड	दोनों न्यायालय	312	98,527	98,839
कुल			**17,40,149**	**86,56,571**	**1,03,96,720**

(स्रोत; ई समिति एससीआई)

टिप्पण: *इलाहाबाद, दिल्ली, केरल और मध्य प्रदेश संबंधित उच्च न्यायालयों के लिए अपने स्वयं के ई-फाइलिंग एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं।
